फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

रामस्वरूप बनाम भीम वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 137 / 23

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
11.2023	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फैसीया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा जगरामपुरा पट्टी तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 01, 02, एवं 45 में आगामी जवाब पेशी तक में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखलअंदाजी पैदा नहीं करें एवं किसी प्रकार का नवनिर्माण नहीं करें। । पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टड नोटिस की जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 03.01.2024 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा) 3/1/24 पत्रावली पेश/ वकील प्रार्थी/अ0/ प्रकाशचन्द्र स्टेनो 20/3/24 को पेशयी रखी 20/3/24 पत्रावली पेश/वकील प्रार्थी अनुपस्थित/ पत्रावली की पेशी हेतु बार-बार आवाज लगाई गई, लेकिन कोई भी हाजिर नहीं आया/ अतः पत्रावली अदम पैरवी - अदम हाजिरी मे खारिज की जाती है/ पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए